PNB GILTS LTD
(Subsidiary of Punjab National Bank)

June 6, 2017

The Manager–Listing National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai -400051 Scrip Code: PNBGILTS	The Manager–Listing BSE Ltd. Phiroz JeeJeebhoy Tower Dalal Street Mumbai- 400 001 Scrip Code: 532366

Sub: Submission of copies of newspaper advertisement under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Ref: Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and Section 124(6) of the Companies Act, 2013

Dear Sir/Madam,

With reference to the above subject matter, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement given by the Company as per the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 intimating therein, inter-alia, the shareholders about the proposed transfer of shares (on which dividend has not been paid or claimed by a shareholder for a period of seven consecutive years or more) to the demat account of Investors Education and Protection Fund Authority .

We request you to kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours faithfully,
For PNB Gilts Ltd.

(Monika Kochar)
Company Secretary

कृष्णा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
कृत कार्यालय: 32/102 इंदुरा दीप बिल्डिंग,
वजीरपुर कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स, वजीरपुर,
दिल्ली–110052
सीआईएन U65993DL1992PLC049609
ई–मेल आईडी : info@prestloans.com

सार्वजनिक सूचना

रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र डीएनबीएस सीसी नं. 12/02.01/99–200 दिनांक 13 2000 के पैराग्राफ ए (5) (III) के साथ पठित डीएनबीएस (पीडी) सीसी नं. 11/02. –2000 दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के पैराग्राफ और परिपत्र सं. डीएनबीएस (पीडी) सीसी नं. 02/2005–06 दिनांक 24 जनवरी, 2006 फ 2(ii) और डीएनबीएस (पीडी) सीसी नं. 02.02/2006–07 दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 य लागू परिपत्र, यदि कोई हो, के संदर्भ में।

सूचित किया जाता है कि मैसर्स **लॉर्ड कृष्णा शियल सर्विसेज लिमिटेड**, कम्पनी म, 1956 के अंतर्गत गठित एक कम्पनी, एन नं. U65993DL1992PLC049609), पंजीकृत कार्यालय 32/102 इंदुरा दीप बिल्डिंग, र कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स, वजीरपुर, 110052 में है और जो आरबीआई के प्रमाणपत्र 4.02019 के माध्यम से पंजीकृत एक गैर–बैंकिंग कम्पनी है, कम्पनी के निदेशकों में परिवर्तन और शेयरों की बिक्री के माध्यम से **लॉर्ड कृष्णा यल सर्विसेज लिमिटेड** का नियंत्रण एवं हस्तांतरण का प्रस्ताव करती है:

प्रस्तावित क्रेता	प्रस्तावित निदेशक
अशोक कुमार मित्तल	अशोक कुमार मित्तल
ममता मित्तल	ममता मित्तल
मनीष पोद्दार	मनीष पोद्दार
सीमा पोद्दार	मुकेश जैन
गायत्री देवी पोद्दार	
विजय कुमार अग्रवाल	
मुकेश जैन	
अंकुश गर्ग	
पी एल दधीच	
मुकेश शर्मा	

कर्ता/विक्रेता अर्थात् श्री सुशील बंसल, श्री सल और अन्य कम्पनी को बेचना चाहते हैं जैसा आगे एनबीएफसी संबंधी व्यवसाय करने के हीं है तथा हस्तांतरिती/क्रेता इसे अधिग्रहित होते हैं जैसा कि वह एनबीएफसी संबंधी व्यवसाय के इच्छुक हैं।

रण से कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय परिवर्तित श्री अशोक कुमार मित्तल, श्री मनीष पोद्दार, श्री और सुश्री ममता मित्तल और उनके सहायक का पूर्ण प्रबंधन एवं नियंत्रण अपने पास लेंगे। र–जमा स्वीकार करने वाली कम्पनी के रूप में है और यह स्वामित्व एवं नियंत्रण के पूर्व या बाद सार्वजनिक जमा स्वीकार करने का प्रस्ताव ती है। इस सूचना की तिथि को कोई भी क जमा लंबित नहीं है।

लेनदार या जमाकर्ता सहित यदि किसी व्यक्ति के नियंत्रण या प्रबंधन के प्रस्तावित परिवर्तन आपत्ति है तो वह कम्पनी के पंजीकृत पते पर –बैंकिंग पर्यवेक्षण, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अपनी लिखित जा सकता है।

/–	हस्ता./–	हस्ता./–
सल	सुशील बंसल	अशोक कुमार मित्तल
कर्ता	हस्तांतरणकर्ता /विक्रेता	प्रस्तावित क्रेता एवं प्रस्तावित निदेशक
/–	हस्ता./–	हस्ता./–
ता	मुकेश जैन	मनीष पोद्दार
न	प्रस्तावित क्रेता	प्रस्तावित क्रेता
क्रेता	एवं प्रस्तावित	एवं प्रस्तावित
शक	निदेशक	निदेशक

05.06.2017 स्थान : नई दिल्ली

PNB GILTS LTD

पीएनबी गिल्ट्स लिमि.
CIN : L74899DL1996PLC077120
पंजीकृत कार्यालय : 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन : 011–23325759, 23325779, फैक्स : 011–23325751, 23325763
ई–मेल : pnbgilts@pnbgilts.com, वेबसाइट : www.pnbgilts.com

शेयरधारकों को सूचना

कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण में अंतरण

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 ("नियम") के नियम 6(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) की शर्तों के अनुरूप, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचना दी जाती है:–

यदि कोई शेयरधारक सात वर्ष या अधिक की अनुगामी अवधि के लाभांश राशि का दावा नहीं करता है, तब उसके द्वारा धारित शेयरों को नियमानुसार गठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण ("आईईपीएफ प्राधिकरण") के नाम अंतरित कर दिया जायेगा। तदनुसार सभी शेयरधारकों के शेयर, जिन्होंने पिछले लगातार सात वर्षों या अधिक के लाभांशों का दावा नहीं किया है, अब उनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के नाम अंतरण के लिये देय हैं।

नियमों में निर्धारित विभिन्न अपेक्षाओं का पालन करते हुए कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों, जिनके शेयर उक्त नियमों के अधीन आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किये जाने हैं, को आवश्यक कार्रवाई हेतु व्यक्तिगत सूचना भेज दी है। ऐसे शेयरधारकों के विवरण जैसे कि नाम, फोलियो नं. / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी और स्थानांतरण देय शेयर सहित कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.pnbgilts.com पर भी डाल दिये गये हैं। अतः संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अदावाकृत लाभांश का दावा 05.09.2017 तक करें अन्यथा शेयरों को कथित नियमों के अंतर्गत 05.10.2017 तक या उससे पहले आईईपीएफ प्राधिकरण के नाम अंतरित कर दिया जायेगा।

सबंधित शेयरधारक, जो कि भौतिक रूप में शेयर धारण किये हुए हैं एवं जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के नाम अंतरित किये जाने वाले हैं, वे यह भी नोट कर लें कि कंपनी नियमानुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के नाम शेयरों के अंतरण के उद्देश्य के लिये उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र के बदले डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और इनके जारी करने पर मूल शेयर प्रमाणपत्र जो कि उनके नाम में पंजीकृत है स्वतः ही रद्द हो जायेगा और इसका कोई भी, जो भी हो, प्रभाव नहीं होगा। शेयर धारक यह भी नोट कर लें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किये गये विवरण को फाईनल समझना चाहिये और नियमानुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के नाम शेयरों के अंतरण के उदेश्य के लिये कंपनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में इसे पर्याप्त सूचना माना जायेगा।

कृपया नोट कर लें कि अदावाकृत या बकाया लाभांश, जो कि पहले आईईपीएफ में जा चुका है अथवा वे शेयर एवं इन पर अर्जित सभी लाभों सहित, यदि कोई है, जिनका आईईपीएफ प्राधिकरण के नाम अंतरित किया जा रहा है, शेयरधारकों द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण की वेबसाइट अर्थात् http://iepf.gov.in/IEPFA/refund.html पर दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः दावा किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी के पास लंबित पड़े अदावाकृत लाभांश का दावा करने के लिये कृपया हमें एक लिखित आवेदन–पत्र के साथ में पैन कार्ड की प्रति और मूल अन–एनकैशड डिविडेंट वारंट अथवा हमारी वेबसाइट www.pnbgilts.com पर उपलब्ध विधिवत भरा हुआ इनडेमनिटी बांड संलग्न करते हुए कंपनी के पंजीकृत पते अर्थात पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110 001 पर प्रेषित करें। उक्त आवेदन–पत्र कंपनी के पास 01.09.2017 को अथवा इससे पहले पहुंच जाना चाहिये।

यदि उपरोक्त विषय अथवा नियमों पर किसी तरह का कोई प्रश्न है तो वे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमि., एफ–65 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–1, नई दिल्ली 110020, टैली: 011–41406149, 41406150, फैक्स : 011–41409881, ई–मेल : helpdesk@mcsregistrars.com से संपर्क करें।

इस नोटिस में वर्णित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.pnbgilts.com और बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड के लिये
हस्ता/–
(मोनिका कोचर)
कंपनी सचिव

तिथि : 05.06.2017
स्थान : नई दिल्ली

सिडबी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
एन.एच. 5 आर/2, नीलम बादशाह खान रोड, एनआईटी, फरीदाबाद – 121001
फोन सं.: 0129–2410672, 2414419, फैक्स : 0129–2414392 www.sidbi.in

ई– नीलामी बिक्री नोटिस प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के तहत ई– नीलामी के माध्यम से आस्तियों की बिक्री (ऑनलाइन नीलामी)

आस्ति प्रतिभूतीकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002, को प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम 2002 के 5, 6, 7, 8 – 9 के साथ पढ़ा और इसके तहत बैंक के पास बंधक अचल संपत्तियों–नीलामी के माध्यम से बिक्री वित्तीय आस्ति प्रतिभूतीकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002, (2002 का सं. 54) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति के रूप में दी गई निम्नांकित आस्तियों तीकात्मक कब्जा ले लिया है। उक्त आस्तियाँ निम्नांकित खातों के उधारकर्ता को प्रदत्त ऋण सुविधाओं के लिए प्रतिभूति के रूप में ली गई थी। य लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा दिए गए प्रतिभूत ऋण की देयराशि की वसूली के प्रति, प्रतिभूत आस्तियों को जहाँ है, जैसे है, जो है, सो आर पर सार्वजनिक ई नीलामी के माध्यम से बेचने का निर्णय किया गया है। संपत्ति का विवरण निम्नवत है:

ृत ऋण का नाम एवं पता	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), एन.एच. 5 आर/2, नीलम बादशाह खान रोड, एनआईटी, फरीदाबाद–121001

Business Standard
06/06/2017

SBI

State Bank of India, Corporate Centre, SAMG Department,
21st Floor, E Block, Maker Tower, Cuffe Parade, Mumbai-400 005.

Empanelment of Insolvency (Resolution) Professionals registered with Insolvency and Bankruptcy Board of India established under Insolvency & Bankruptcy Code, 2016

Expression of Interest (EOI) is invited from IRPs (Insolvency Resolution Professionals) who are registered with the Insolvency and Bankruptcy Board of India and are having office(s) at places where NCLT benches are established for empanelment with SBI to represent the bank in the cases filed before NCLT / NCLAT. For details on eligibility, scope of work, T&C, please visit our website **https://sbi.co.in** under **"Procurement News"**.

Place: Mumbai
Date: 06.06.2017

Deputy General Manager (CDR)

PNB GILTS LTD.

PNB GILTS LTD

CIN : L74899DL1996PLC077120
Regd. Office : 5, Sansad Marg, New Delhi - 110001
Tel : 011-23325759, 23325779, Fax: 011-23325751, 23325763
E-Mail : pnbgilts@pnbgilts.com, Website: www.pnbgilts.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

In terms of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 6(3) of Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules"), Notice is hereby given to the shareholders of PNB Gilts Limited ("the Company") as under –

As per said Rules, if a shareholder does not claim the dividend amount for a consecutive period of seven years or more, then the shares held by him/her shall be transferred to the demat account of the Investors Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority") constituted in accordance with the Rules. Accordingly, shares of all those shareholders, who haven't claimed the dividends for the last seven consecutive years or more, are now due for transfer to IEPF Authority.

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has already communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority under the said Rules for taking appropriate action(s). The full details of such shareholders including their names, folio no. or DP ID & Client ID and shares due for transfer are also posted on the website of the Company i.e. www.pnbgilts.com. The concerned shareholders are thus requested to claim the unclaimed dividend by 05.09.2017, otherwise the shares shall be transferred to the IEPF Authority on or before 05.10.2017 or such other date as may be extended under the said Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form or whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may also take note that the Company would be issuing duplicate share certificate (s) in lieu of the original share certificate (s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority as per Rules and upon such issue, the original share certificate which stands registered in their name will stand automatically cancelled and will have no effect whatsoever. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the Rules.

Please take note that unclaimed or unpaid dividend which have already been or the shares which are being transferred by the Company to IEPF Fund or IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by the shareholders from IEPF Authority by following the procedure given on its website i.e. http://iepf.gov.in/IEPFA/refund.html. Further, in order to claim the unclaimed dividend lying with the Company, please send us a written application alongwith copy of PAN Card and the original un-encashed Dividend warrant or a duly filled in indemnity bond available on our website www.pnbgilts.com to the Company's Registered Office i.e. PNB Gilts Limited, 5, Sansad Marg, New Delhi – 110 001. The said application should reach the company on or before 01.09.2017.

In case the shareholders have any queries on the subject matter or the Rules, they may contact the Company's Registrar and Transfer Agents at MCS Share Transfer Agent Ltd., F–65 Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi - 110020, Tel: 011-41406149, 41406150, Fax : 011-41409881, Email : helpdesk@mcsregistrars.com.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.pnbgilts.com and on the website of BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com.

For and on behalf of
PNB Gilts Limited
Sd/-
(Monika Kochar)
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 05.06.2017